उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14, अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ–226001

CIN:U32201UP1999SGC024928.

संख्या–1759–अधि0प्रब0–03/पाकालि/2019–3(352)ई0एम0–03/2005 **दिनांकः 13 नवम्बर, 2019**

लेखाधिकारी (पेंशन),
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन विस्तार,
लखनऊ।

विषयः– श्री टेक चन्द वर्मा (अभिज्ञान संख्या–2005352), सहायक अभियन्ता को पेंशन एवं ग्रेच्युटी अधिकृत किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

श्री टेक चन्द वर्मा (2005352), तत्कालीन सहायक अभियन्ता (मीटर), विद्युत परीक्षणशाला–द्वितीय, मुरादाबाद, जिन्हें गम्भीर अनियमितताओं के प्रकरण में नियमित अनुशासनिक कार्यवाही प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त कारपोरेशन आदेश संख्या–1310–शि0जॉ0–05सी/पाकालि/08–07(101)05सी/06, दिनांक 15.07.2008 द्वारा पदच्युत किया गया था। उक्त आदेश के विरुद्ध श्री वर्मा ने मा0 अधिकरण में याचिका संख्या–2328/2010 योजित की, जिसमें दिनांक 18.09.2018 को मा0 अधिकरण ने कारपोरेशन आदेश दिनांक 15.07.2008 एवं अपील आदेश दिनांक 06.01.2010 को अपास्त करते हुए प्रकरण पर पुनः अनुशासनिक कार्यवाही सम्पादित कर 04 माह में निस्तारित किए जाने के आदेश प्रदान किये थे।

मा0 अधिकरण के निर्णय दिनांक 18.09.2018 के अनुपालन में कारपोरेशन आदेश संख्या–2456–शि0जॉ0–05सी/पाकालि/19–04(01)05सी/2011, दिनांक 03.10.2019 द्वारा श्री वर्मा का पदच्युत आदेश अपास्त करते हुए उन्हें दिनांक 15.07.2008 से सेवा में वापस लिये जाने के उपरान्त दिनांक 31.07.2010 को अधिवर्षता पर सेवानिवृत्त माना गया तथा उन्हें दिनांक 15.07.2008 से दिनांक 31.07.2010 तक की अवधि का No Work No Pay के सिद्धान्त पर कोई भी वेतन एवं भत्ते नहीं दिए जाने के आदेश पारित किए जा चुके हैं।

श्री टेक चन्द वर्मा, पदच्युत सहायक अभियन्ता के विरुद्ध मा0 अधिकरण के निर्णय दिनांक 18.09.2018 के अनुपालन में नियमित अनुशासनिक कार्यवाही की प्रक्रिया पूर्ण होने पर, जाँच समिति से प्राप्त जाँचाख्या के परीक्षणोपरान्त पायी गयी गम्भीर अनियमितताओं के दृष्टिगत कारपोरेशन आदेश संख्या–2549–शि0जॉ0–05सी/पाकालि/19–04(01)05सी/11, दिनांक 22.10.2019 द्वारा उनकी पेंशन से 50 प्रतिशत की कटौती का दण्ड प्रदान करते हुए श्री वर्मा के विरुद्ध प्रकरण समाप्त किया जा चुका है।

अतः उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में अंगीकृत परिषदादेश सं0–893–पेंशन–31/रा0वि0प0/461(पी)1/89 दिनांक 21.06.1991 (यथा संलग्न शासनादेश संख्या–सा–3/1713/10– 89–933/89 दिनांक 28.07.1989) में उल्लिखित प्राविधानानुसार मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया श्री टेक चन्द वर्मा (अभिज्ञान संख्या–2005352, सम्प्रेक्षा संख्या–टी–215), तत्कालीन सहायक अभियन्ता (मीटर), विद्युत परीक्षणशाला–द्वितीय, मुरादाबाद को निम्नानुसार पेंशन व ग्रेच्युटी का भुगतान किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

1– श्री टेक चन्द वर्मा, सहायक अभियन्ता की सेवानिवृत्ति दिनांक 31.07.2010 के उपरान्त दिनांक 01.08.2010 से दिनांक 21.10.2019 तक अनन्तिम पेंशन।

2– श्री टेक चन्द वर्मा, सहायक अभियन्ता की दिनांक 22.10.2019 से 50 प्रतिशत पेंशन व सेवानिवृत्ति दिनांक 31.07.2010 को यथा अनुमन्य ग्रेच्युटी।

अनुसार,

..........2–

उपर्युक्त लाभों को अधिकृत करते समय अवशेष देयों, यदि कोई हों, का समायोजन सुनिश्चित कर लिया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि विभागीय आवास यदि आवंटित रहा हो, खाली कर दिया गया हो तथा इन पर कोई रेन्ट/पेनल रेन्ट आदि बकाया न हो।

श्री टेक चन्द वर्मा (वरिष्ठता क्रमांक–3036), अवर अभियन्ता से प्रोन्नत सहायक अभियन्ता हैं, इनके अवर अभियन्ता काल से सम्बन्धित अवशेष देय, यदि कोई हों, का समायोजन भी सुनिश्चित कर लिया जाये।

भवदीय,

(हिमांशु वार्ष्णेय)
उप सचिव (अ0प्र0–03)

संख्या–1759(I)–अधि0प्रब0–03/पाकालि/2019, दिनांकः13 नवम्बर, 2019

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 से सम्बद्ध विशेष निजी सचिव, शक्ति भवन, लखनऊ।
2– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 से सम्बद्ध विशेष निजी सचिव, शक्ति भवन, लखनऊ।
3– निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 से सम्बद्ध विशेष निजी सचिव, शक्ति भवन, लखनऊ।
पंजीकृत 4– प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, विक्टोरिया पार्क, मेरठ।
5– अपर सचिव–तृतीय, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
पंजीकृत 6– मुख्य अभियन्ता (वितरण), मुरादाबाद क्षेत्र, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मुरादाबाद।
7– सचिव (ट्रस्ट), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8– संयुक्त सचिव (अनुशासनिक कार्यवाही)/अनुसचिव(05सी), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को शिकायत एवं जाँच अनुभाग–05(सी) के आदेश सं0–2456–शि0जाँ0–05सी/पाकालि/19– 04(01) 05 सी/ 2011, दिनांक 03.10.2019 एवं आदेश सं0–2549–शि0जाँ0–05सी/पाकालि/19–04(01) 05सी/ 11, दिनांक 22.10.2019 के सन्दर्भ में।
9– उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
पंजीकृत 10– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षणशाला (द्वितीय), मुरादाबाद।
11– अधिशासी अभियन्ता (वेब0), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को कारपोरेशन की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
12– उप सचिव (अ0प्र0–07), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
13– अनुसचिव (गोपन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
14– लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
पंजीकृत 15– श्री टेक चन्द वर्मा, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, मकान नं0–325 नेहरू नगर, गली नं0–5, मेरठ–250001 को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपनी पेंशन/ग्रेच्युटी प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित खण्ड/लेखाधिकारी (पेंशन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ से यथावश्यक प्रपत्रों सहित अविलम्ब सम्पर्क स्थापित करना सुनिश्चित करें।
16– कट फाइल।

(हिमांशु वार्ष्णेय)
उप सचिव (अ0प्र0–03)